@Shajhanpurpol

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य, दिनांक 12.05.2024

अवैध 700 ग्राम अफीम के साथ 02 अभियुक्त/तस्कर गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्री मनोज अवस्थी अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहाँपुर महोदय के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम व मादक पदार्थ तस्करी/अवैध शस्त्र बरामदगी, सत्यापन अपराधी के दौरान

आज दिनाँक 12.05.2024 को उ0नि0 गोविन्द सिंह मय हमराही का0 206 अरविन्द कुमार मय का0 2347 अमित कुमार मय का0 2297 सुनील कुमार के मय सरकारी गाडी न0 UP 32 EG 3191 मय चा0 का0 731 जरनैल सिंह के क्षेत्र में मामूर होकर मकसूदापुर बार्डर पिकेट पर चैकिंग हेतु जा रहे थे जैसे ही हम पुलिस वाले मकसूदापुर नहर पुल के नजदीक पहुंचे तो नहर पुल से पहले बायीं पटरी पर गाडी की रोशनी में दूर खडे दो व्यक्ति दिखाई दिये, जो हम लोगों के पास पहुचनें पर पुलिस की गाडी देखकर नहर की बायीं कच्ची पटरी पर तेज कदमों से भागने लगे कि उ0नि0 गोविन्द सिंह द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस बल की सहायता से अभियुक्त गण **1. हरनेक सिंह पुत्र दिलबाग सिंह निवासी ग्राम मरौरी थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत, 2. जसवीर सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी निकट रूपदेवी पब्लिक स्कूल गोला रोड कस्बा व थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत** को घेर घारकर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए मौके पर ही **मकसूदापुर नहर पुल की बायीं पटरी पर जाने वाले कच्चे रास्ते पर नहर पुल से करीब 80 कदम की दूरी पर समय करीब 03.50 बजे** हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार जामा तलाशी पर अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से क्रमशः 300-400 ग्राम नाजायज अफीम बरामद हुई हैं। बरामदगी के आधार पर नियमानुसार मु0अ0सं0- 330/2024 धारा 8/18 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गण उपरोक्त को विधिक कार्यवाही उपरान्त न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.हरनेक सिंह पुत्र दिलबाग सिंह निवासी ग्राम मरौरी थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत

2.जसवीर सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी निकट रूपदेवी पब्लिक स्कूल गोला रोड कस्बा व थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0- 330/2024 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम हरनेक आदि 02 नफर थाना बण्डा

बरामदगी का विवरण -

1 कुल 700 ग्राम अफीम नाजायज, (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 लाख 10 हजार रूपये है)

विवरण पूछताछ अभियुक्तगण

अभियुक्तगण 1. हरनेक सिंह पुत्र दिलबाग सिंह निवासी ग्राम मरौरी थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत, 2. जसवीर सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी निकट रूपदेवी पब्लिक स्कूल गोला रोड कस्बा व थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत ने पूछताछ पर संयुक्त रूप बताया कि साहब हम लोग नेपाल बार्डर से अफीम खरीदकर बण्डा –पुवायां शाहजहाँपुर, पूरनपुर पीलीभीत व बरेली आदि क्षेत्रों में घूम फिरकर अपने माध्यम से ग्राहक तलाश करते है और पीलीभीत व शाहजहाँपुर के आस पास के क्षेत्र में ढाबों पर व ट्रक चालकों को हमारा माल आसानी से बिक जाता है और पुलिस या अन्य किसी को कोई शक नही होता। और इसकी बिक्री से अच्छी मोटी कमाई होती है। जो भी मुनाफा होता है उसको आपस में बांट लेते है। साहब पुलिस द्वारा पकडने पर नाम न खुले जाने के डर से इस धंधे में कोई भी अपनी असली पहचान नहीं बताता है। जिससे हमने अफीम खरीदी थी उसने भी हमें अपना सही नाम -पता नहीं बताया था और आज मैं इसे लेकर बेचनें के लिए ग्राहक की तलाश में खुटार जा रहे थे। लेकिन आज आप लोगों ने हमे माल सहित पकड लिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. श्री राकेश कुमार मौर्य प्र0नि0 थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2. उ0नि0 गोविन्द सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
3. का0 206 अरविन्द कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4. का0 2347 अमित कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
5. का0 2297 सुनील कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
6. का0 731 जरनैल सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,